



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4683-DB

आरक्षित तिथि :- 16.12.2025

प्रदत्त तिथि :- 08.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1853/2025

धनवीर

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मानवेंद्र सिंह, सौरभ यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : भरत सिंह, दीपक दुबे, सरकारी अधिवक्ता

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-।

1. अपीलकर्ता/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ यादव, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक दुबे और श्री भरत सिंह तथा सुश्री मंजू ठाकुर विद्वान अधिवक्ता गण एवं राज्य की ओर से विद्वान एजीए-को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका अपीलकर्ता-आवेदक धनवीर की ओर से दायर की गई है, जिसमें अपील की सुनवाई के दौरान सत्र परीक्षण संख्या 895/2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम धनवीर और अन्य) में, जो धारा 302, 504 आईपीसी के तहत मामला संख्या 34/2020, पुलिस स्टेशन- अलापुर, जिला- बदायूं से संबंधित है, और सत्र परीक्षण संख्या 1270/2020 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धनवीर) में, जो धारा 30 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला संख्या 82/2020, पुलिस स्टेशन-अलापुर, जिला- बदायूं से संबंधित है, में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 25.01.2020 को शाम लगभग 7:30 बजे राम भरोसे के पुत्र धनवीर और राम प्रकाश यादव के पुत्र आगेश, अपने लाइसेंसी हथियार के साथ शिकायतकर्ता के घर के सामने आए और उसे गाली देने लगे। जब शिकायतकर्ता और उसके पोते ने उन्हें रोका, तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जो उसके पोते आशीष और पास में बैठे व्यक्तियों, रामाशंकर के पुत्र प्रवेश और राजवीर शर्मा के पुत्र रवि को लगी। आशीष को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि रवि को बरेली रेफर कर दिया गया। रघुवीर भी उसके साथ था। रवि की बाद में मृत्यु हो गई।

4. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही ली: प्रथम गवाह महावीर प्रसाद; द्वितीय गवाह विजय ओम पुत्र लोक शर्मा; तृतीय गवाह लोकमान पुत्र सुखलाल; चतुर्थ गवाह डॉ. मोहम्मद उबैश; पंचम गवाह सनी चौधरी; सप्तम गवाह कांस्टेबल भूपेंद्र कुमार; सप्तम गवाह डॉ. विष्णु अग्रवाल; और सप्तम गवाह वृक्षपाल सिंह एवं गवाह संख्या 9, इंस्पेक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा; गवाह संख्या 10, कांस्टेबल कनक यादव; गवाह संख्या 11, कांस्टेबल प्रीति गोल्यान; गवाह संख्या 12, प्रभारी इंस्पेक्टर संजय सिंह और गवाह संख्या 13, सब इंस्पेक्टर प्रयागराज सिंह है।

5. आरोपियों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कथित अपराधों को करने से इनकार किया और इस मामले में झूठे फंसाए जाने का भी आरोप लगाया।

6. बचाव पक्ष ने गवाह संख्या 1, वेदराम के पुत्र ललाराम और गवाह संख्या 2, प्रकाश के पुत्र भूरे को प्रस्तुत किया।

7. प्रथम गवाह ने अपने मुख्य बयान में एफआईआर में दर्ज घटना के विवरण की पुष्टि की। उसने बताया कि वह बाल-बाल बच गया, जबकि उसके पोते आशीष और रवि के सिर में गोली लगी। घटना के समय विजय ओम, सत्य ओम, लोकमान शर्मा और श्रीनिवास भी अलाव के पास बैठे थे, जिन्होंने घटना देखी। वहां बिजली थी, जिसमें उन सभी ने आरोपियों को देखा और पहचान लिया। घटना के समय धनवीर का भाई रघुवीर भी घटनास्थल पर आ गया था, जिसके बाद

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपियों ने गोलीबारी करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। रघुवीर ने लोकमान से रिपोर्ट लिखवाई और रिपोर्ट पढ़कर सुनाए जाने के बाद उसने आवेदन पर हस्ताक्षर करके उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। इसके बाद जांच अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया और उसे घटनास्थल दिखाया। रवि की बरेली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

8. द्वितीय गवाह, विजय ओम, मृतक आशीष के पिता, ने अपना बयान लगभग प्रथम गवाह के बयान के समान ही दिया। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी धनवीर ने अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से और आरोपी आगेश ने अपनी 12 बोर की देसी पिस्तौल से गोली चलाई, जो आशीष, प्रवेश और रवि को लगी।

9. तीसरे गवाह लोकमान ने साबित किया कि आरोपी धनवीर ने अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से और आरोपी आगेश ने अपनी 12 बोर की देसी पिस्तौल से गोली चलाई, जो आशीष, प्रवेश और रवि को लगी।

10. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पहले और दूसरे गवाह ने दोनों मृतकों और एक घायल पर गोली चलाने में दोनों आरोपियों, धनवीर और आगेश की सामान्य भूमिका बताई है, लेकिन तीसरे गवाह ने मृतकों को घातक चोटें पहुंचाने में केवल आरोपी आगेश की भूमिका बताई है, जिसने अपनी 12 बोर की देसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। चौथे गवाह ने मृतक आशीष के शरीर पर पांच छर्रे के घाव पाए। सातवें गवाह ने भी मृतक रवि के शरीर पर सात छर्रे के घाव पाए। इसलिए, दोनों मृतकों को लगी चोटें 12 बोर की देसी पिस्तौल से लगी थीं, जो आरोपी आगेश के बताए अनुसार बरामद हुई थी। आरोपी आगेश के बताए अनुसार बरामद 12 बोर की देसी पिस्तौल की एफएसएल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इसका इस्तेमाल दो व्यक्तियों की हत्या में किया गया था। अपीलकर्ता को इस बात का कोई मकसद नहीं बताया गया है कि उसने गवाह-1 को गाली क्यों दी और जब गवाह-1 ने उसे और सह-आरोपियों को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने गोली क्यों चलाई। इसलिए, इस मामले में अपीलकर्ता धनवीर को फंसाना अनुचित है। वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर था और इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 10.01.2025 से जेल में है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 504 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया गया है, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक दुबे और श्री भरत सिंह ने अपीलकर्ता की ओर से जमानत के लिए की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि घटना स्थल से अपीलकर्ता का भाग जाना और उसके बाद अपनी बंदूक को शस्त्र की दुकान में जमा करना यह साबित करता है कि उसने कथित अपराध में अपनी बंदूक के इस्तेमाल से संबंधित सबूतों को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा है कि जहां अभियोजन पक्ष चश्मदीदों के बयानों पर आधारित है, वहां विशेषज्ञों द्वारा दी गई अनिर्णायक राय अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **बलवीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य बनाम (2019) 15 एससीसी 599** के मामले में कहा है। आगे यह भी कहा गया है कि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में विरोधाभास होने पर प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य पर भारी पड़ेगा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमांशु मोहन राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2017) 4 एससीसी 161** के मामले में कहा है।

12. विद्वान एजीए ने भी अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया है।

13. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हमने पाया कि गवाह संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी आगेश ने ही मृतक को अपनी 12 बोर की देसी पिस्तौल से घातक चोटें पहुंचाई थीं। उसने अपीलकर्ता धनवीर को घातक चोट पहुंचाने में किसी भी भूमिका का आरोप नहीं लगाया है। अन्य गवाह गवाह संख्या 1 और 2 ने दोनों आरोपियों को सामान्य भूमिका सौंपी है। मुखबिर के अधिवक्ता ने गवाह संख्या 2 के बयान के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क का कोई जवाब नहीं दिया है। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मत है कि अपीलकर्ता धनवीर को इस अपील की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

14. उपर्युक्त अपराध में दोषी ठहराए गए और सजा पाए आवेदक-अपीलकर्ता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

15. इस अपील की सुनवाई के दौरान आवेदक-अपीलकर्ता को दी गई सजा भी निलंबित रहेगी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. आवेदक-अपीलकर्ता जमानत पर रहते हुए इस न्यायालय की अनुमति के बिना अपने नाम पर किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, हस्तांतरण या उस पर कोई प्रभार नहीं बनाएगा।
17. व्यक्तिगत और जमानती मुचलके प्रस्तुत होते ही, संबंधित न्यायालय द्वारा उनकी फोटोकॉपी तुरंत इस न्यायालय को अभिलेख में रखने के लिए भेजी जाए।
18. अपीलकर्ता-आवेदक को जेल से रिहाई की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर जुर्माने का 50% जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जुर्माने की शेष 50% राशि आपराधिक अपील के लंबित रहने तक स्थगित रहेगी।
19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जुर्माना ऊपर निर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार वसूल किया जाएगा।

आपराधिक अपील पर आदेश

20. निचली अदालत का रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।
21. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि छह सप्ताह के भीतर पेपर बुक तैयार करवाएं।
22. इस अपील को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।

8 जनवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated, Corrected & Authenticated

by Rishabh Singh (Adv.)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।